न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 8/2022

बिमला पत्नी मुखराम उम्र 48 वर्ष, जाति माली, निवासी झड़ायानगर, तन पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपरवाटी, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम रामनिवास वगैरह मु0न0 03/2021
अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 निर्णय दिनांक 17.09.2021

उपस्थितिः—

1 .श्री मनोहरलाल, एडवोकेट ————————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.09.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामनिवास, मु0 नं0 03/2021 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना एवं बिना न्यायिक विवेचना किये तथा अपना माईन्ड अप्लाई किये बिना ही निर्णय दिनांक 17.9.2021 पारित किया है, जो विरूद्ध कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रिकार्ड के विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत का [illegible] आर्डर की तरीफ में नहीं आता है। अपीलांट ने दिनांक 22.2.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपना जवाब नोटिस पेश कर दिया था । उसके बाद [illegible] अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:30:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

की आर्डरशीट दिनांक 3.3.2021 से अनुपस्थिति दिखाई है। अपीलांट स्वयं तारीख पेशियों पर हाजिर होती रही है,लेकिन उसके बाद में दिनांक 12.4.2021 को अपीलांट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.4.2021 बताई गई, उसके बाद कोविड–19 के चलते सम्पूर्ण न्यायालय में लॉकडाउन होने के कारण कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और अपीलांट की लगातार अनुपस्थिति दिखते हुये अपीलांट को बिना सुने ही दिनांक 17.9.2021 को बिना माईन्ड अप्लाई किये निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। ग्राम झड़ायानगर के हाल खसरा नंबर 2261 कुल रकबा 1.58 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह पर करीब 100 लोग मकान व बाडे बनाकर रिहायश कर रहे है जो आबादी भूमि है जिस पर अपीलांट करीब 50 साल से बाड़ा बनाकर आबाद हैं तथा समान के अन्य 40 परिवार करीब 50 वर्षों से पुक्ता मकान व बाडे बनाकर आबाद है। उक्त भूमि रिहायश करने के लिए गांव के व्यक्तियों के ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी थी। अपीलांट का पुराना कब्जा व ढाणी के लोगों की बसासत होने के कारण नियमन का मामला बनता है। उक्त भूमि पर अपीलांट के अलावा करीब 40 परिवार अपने मकान बनाकर आबाद हैं। अपीलांट के अलावा अन्य 40 घरों की आबादी को अतिक्रमी न मानकर केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता से प्रेरित होकर एक मात्र प्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर पेश करवाई है। एक तरफ तो राज्य सरकार भूमिहीन लोगों को भूखण्ड आवंटित कर उन्हें इन्द्रा आवास व अन्य योजनाओं के तहत मकान बनाकर आबाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब तबके के बसे हुये लोगों को अतिक्रमी घोषित कर उनके खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया जा रहा है।

अपीलांट का कथन है कि वर्तमान समय में ग्राम झड़ायानगर पटवार हल्का पचलंगी का सरपंच व उसका परिवार अपीलांट से राजनैतिक द्वेषता रखता है, इसलिये हल्का पटवारी से मिलकर केवल अकेले प्रार्थी को ही नोटिस दिया गया है, जबकि हाल सरपंच व उसके परिवार के अन्य कई लोगों ने उक्त हाल खसरा नंबर 2261 कुल रकबा 01.58 हैक्टर की भूमि पर बाड़ा व आवास बना रखे व कृषि के काम ले रहे हैं। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 17.9.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर विवादित भूमि का अपीलांट के नियमन करने के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना एवं बिना न्यायिक विवेचना किये तथा अपना माईन्ड अप्लाई किये बिना ही निर्णय दिनांक 17.9.2021 पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर की तरीफ में नहीं आता है। ग्राम झड़ायानगर के हाल खसरा नंबर 2261 कुल रकबा 1.58 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह पर करीब 100 लोग मकान व बाड़े बनाकर रिहायश कर रहे है, जो आबादी भूमि है जिस पर अपीलांट करीब 50 साल से बाड़ा बनाकर आबाद हैं तथा समान के अन्य 40 परिवार करीब 50 वर्षों से पुक्ता मकान व बाडे बनाकर आबाद है। उक्त भूमि रिहायश करने के लिए गांव के व्यक्तियों के ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी थी। अपीलांट का पुराना कब्जा व ढाणी के लोगों की बसासत होने के कारण नियमन का मामला बनता है। उक्त भूमि पर अपीलांट के अलावा करीब 40 परिवार अपने मकान बनाकर आबाद हैं। अपीलांट के अलावा अन्य 40 घरों की आबादी को अतिक्रमी न मानकर केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता से प्रेरित होकर एक मात्र प्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर पेश करवाई है। वर्तमान समय में ग्राम झड़ायानगर पटवार हल्का पचलंगी का सरपंच व उसका परिवार अपीलांट से राजनैतिक द्वेषता रखता है, इसलिये हल्का पटवारी से मिलकर केवल अकेले प्रार्थी को ही नोटिस दिया गया है, जबकि हाल सरपंच व उसके परिवार के अन्य कई लोगों ने उक्त हाल खसरा नंबर 2261 कुल रकबा 1.58 हैक्टर की भूमि पर बाड़ा व आवास बना रखे व कृषि के काम ले रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 17.9.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर विवादित भूमि का अपीलांट के नियमन करने के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट बी0पी0एल0 परिवार से है। विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से पिछले 50 साल से काबिज है। मौके पर लगभग 40 परिवार आबाद है। विधुत संबंध है। राजनैतिक कारणों से केवल अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदश पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.9.2021 उनवानी सरकार बनाम रामनिवास वगैरह मु0नं0 03/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:47 IST
Reason: SelfAttested